



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



3 आश्विन 1946 (श०)

संख्या - 31 राँची, बुधवार

25 सितम्बर, 2024 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग 1 —नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 440-451 और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	भाग-4 —झारखण्ड अधिनियम
भाग 1-क —स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	भाग-5 —झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।
भाग 1-ख —मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	भाग-7 —संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।
भाग 1-ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	भाग-8 —भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा	भाग-9 —विज्ञापन ---
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	भाग-9-क —वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग 3 —भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।	भाग-9-ख —निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।
	पूरक — ...
	पूरक "अ" ...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ****वित्त विभाग****संकल्प**

12 सितम्बर, 2024

विषय: वित्त विभाग, झारखण्ड Project Management Unit (PMU) के सुदृढीकरण हेतु उच्च तकनीकी कुशलता प्राप्त प्रोफेशनल को संविदा के आधार पर नियोजित करने हेतु पूर्व में सृजित दो पदों को प्रत्यार्पित करते हुए दो नये पदों के सृजन के संबंध में।

वित्त विभाग, झारखण्ड Program Management Unit (PMU) में सम्प्रति 37 (सैंतीस) पदों के विरुद्ध 24 (चौबीस) तकनीकी कर्मी कार्यरत है, जिनमें उच्चतम पद Manager IT है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, झारखण्ड के 04 (चार) पदाधिकारियों/वैज्ञानिकों द्वारा तकनीकी इनपुट/परामर्श विभाग को दी जाती है एवं वे Supporting role में हैं।

2. एन०आई०सी० के पदाधिकारियों के Supporting role में होने के कारण इनकी कार्य सीमा सीमित है। जबकि प्रशासनिक तथा तकनीकी दृष्टिकोण से PMU को सुदृढ करने हेतु तकनीकी विशेषज्ञों को संविदा पर नियुक्त किए जाने की आवश्यकता के मद्देनजर PMU विभागीय संकल्प संख्या 3138 दिनांक 07.11.2023 द्वारा वित्त विभाग झारखण्ड अन्तर्गत ProjectDirector तथा Additional Project Director के क्रमशः 01 एवं 01 अर्थात् कुल 02 (दो) पद सृजित किये गये हैं।

3. उल्लेखित संकल्प के आलोक में अपेक्षित अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण पी०एम०यू० के कार्यों के संबंध में लक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। उक्त को दृष्टिपथ रखते हुए वित्तविभागीय संकल्प संख्या 3138 दिनांक 07.11.2023 द्वारा सृजित Project Director का 01 (एक) तथा Additional Project Director का 01 (एक) कुल 02 (दो) पदों को प्रत्यार्पित करते हुए Project Management Unit (PMU) के सुदृढीकरण हेतु उच्च कुशलता प्राप्त तकनीकी विशेषज्ञ पदाधिकारी के रूप में निम्नांकित 02 (दो) पदों को संविदा के तहत स्वच्छ रूप से सृजित करने का प्रस्ताव है:-

Sl. No.	Name of the Post	No of Post	Educational Qualification & Experience
1.	Program Director	01	<u>Essential Qualification</u> -B.Tech. (Computer Science/IT)/ B.E. (Computer Science/IT)/ M.C.A from Government recognized University/Institute <u>Desirable Qualification</u> MBA/PGDBM from Government recognized University/Institute <u>Experience</u> A Senior Management Officer from CMMI Level 5 company or Government Organization with an experience for minimum 15 years in relevant field.
2.	Additional Program Director	01	<u>Essential Qualification</u> -B.Tech. (Computer Science/IT)/ B.E. (Computer Science/IT)/ M.C.A from Government recognized University/Institute <u>Desirable Qualification</u> MBA/PGDBM from Government recognized University/Institute <u>Experience</u> A Senior Management Officer from CMMI Level 5 company or Government Organization with an experience for minimum 10 years in relevant field.

4. Prerequisites

(क) नये कर्मियों के लिए:-

Sl. No	Post	Salary per month (in rupees)	Gross Allowance per month (in rupees) (including Transport Allowance, House Rent Allowance, Medical Allowance etc)
1.	Program Director	2 Lakh	1.5 Lakh
2.	Additional Program Director	1.5 Lakh	0.75 Lakh

(ख) सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों के लिए:- भारत सरकार अथवा राज्य सरकार से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों को संविदा के आधार पर उल्लेखित पदों पर पुनर्नियुक्त होने की स्थिति में नियत मानदेयवेतन (Fixed Pay) का निर्धारण निम्नरूपेण किया जायेगा:-

- (i) सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त अंतिम मूल वेतन घटाव मूलपेंशन की राशि के समतुल्य नियत मासिक मानदेय/वेतन (Fixed Pay) की राशि अनुमान्य होगी।
- (ii) उक्त नियत मानदेय/वेतन (Fixed Pay) की राशि पर महँगाई भत्ता एवं वार्षिक वेतनवृद्धि अनुमान्य नहीं होगा।
- (iii) पेंशन वा महँगाई राहत का भुगतान नियमानुसार होता रहेगा।
- (iv) संविदा के आधार पर पुनर्नियुक्त सरकारी कर्मियों को सरकारी आवास आवंटित नहीं होने पर सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन के आलोक में, राँची शहर के लिए अनुमान्य आवास किराया भत्ता का 75 प्रतिशत अनुमान्य होगा।
- (v) संविदा के आधार पर पुनर्नियुक्त सरकारी कर्मियों को यदि सरकारी वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया हो, तो उन्हें सेवानिवृत्ति के समय धारित चाल स्मार्टमस के अनुसार परिवहन भत्ता (जहाँ अनुमान्य हो, सेवानिवृत्ति तिथि को देय महँगाई भत्ता सहित) देय होंगे। महँगाई भत्ता में वृद्धि के फलस्वरूप परिवहन भत्ता में वृद्धि अनुमान्य नहीं होगा।

5. नियोजन की प्रक्रिया

(क) संविदा पर नियोजन के पूर्व समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित किया जायेगा तथा प्राप्त आवेदनों के आधार पर चयन हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय चयन समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जायेगा: -

- | | |
|---|-----------|
| (I) विकास आयुक्त, झारखण्ड | - अध्यक्ष |
| (II) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड | - सदस्य |
| (III) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग, झारखण्ड | - सदस्य |
| (IV) SIO, NIC, Jharkhand | - सदस्य |

(ख) विभाग के द्वारा प्राप्त आवेदनों के आधार पर अभ्यर्थियों के साक्षात्कार का आयोजन उल्लेखित समिति के अधीन किया जायेगा तथा समिति की अनुशंसा के आलोक में विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर चयनित अभ्यर्थी का संविदा पर नियोजन किया जायेगा ।

6. नियोजन की शर्त-तकनीकी विशेषज्ञ पदाधिकारी के पद पर नियोजन की शर्तें निम्नांकित होंगी: -

- (i) अभ्यर्थी को वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित अर्हता, योग्यता एवं अनुभव को धारण करना अनिवार्य होगा ।
- (ii) नियोजन संविदा आधारित होगा ।
- (iii) चयनित पदाधिकारियों को 05 (पाँच) वर्षों/65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक (जो पहले आए) के लिए नियोजित किया जायेगा। विभागीय आवश्यकता के आलोक में नियोजित पदाधिकारियों का अवधि विस्तार कार्य संतोषजनक रहने की स्थिति में 3-3 (तीन-तीन) वर्षों तक के लिए (65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक) विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर किया जा सकेगा ।
- (iv) नियोजित कर्मियों को सरकारी आवास की सुविधा का प्रावधान नहीं होगा ।
- (v) नियोजन संविदा आधारित होगी तथा इसके आधार पर सरकार में किसी पद के विरुद्ध समायोजन का कोई दावा मान्य नहीं होगा ।
- (vi) नियोजित पदाधिकारियों के EPF अर्षदान की कटौती EPF Act,1952 के तहत Wage ceiling limit को आधार मानते हुए की जाएगी ।
- (vii) सरकारी कार्य के लिए की गई यात्रा के लिए संविदा पर नियुक्त Program Directorको झारखण्ड सरकार के संयुक्त सचिव (Pay Level- 13) एवं Additional Program Director को झारखण्ड सरकार के उप सचिव (Pay Level- 12) के अनुरूप यात्रा भत्ता देय होगी ।
- (viii) नियोजित कर्मियों को प्रतिवर्ष 14 दिनों का आकस्मिक अवकाश एवं राज्य कर्मियों के अनुरूप क्षतिपूर्ति अवकाश अनुमान्य होगा ।
- (ix) संविदा पर नियुक्त Program एवं Additional Program Director को सफलतापूर्वक 01 (एक) वर्ष की कार्य अवधि पूर्ण करने पर प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष की शुरुआत में कंडिका 4 में अंकित Salary का 8 प्रतिशत (आठ प्रतिशत) की दर से Annual Increment अनुमान्य होगी ।

- (x) यदि विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय चयन समिति को यह प्रतीत होता है कि कोई अभ्यर्थी योग्य नहीं है तो उक्त समिति Search and Selection Committee के रूप में कार्य करते हुए समिति की नजर में उत्कृष्ट योग्यता एवं अनुभव वाले किसी अन्य व्यक्ति (इसमें विज्ञापन के विरुद्ध आवेदन समर्पित नहीं करने वाले भी सम्मिलित हैं) को साक्षात्कार के माध्यम से नियोजन हेतु अनुशंसा कर सकेगी।
- (xi) संबंधित पदाधिकारियों के कार्य एवं दायित्वों का उल्लेख परिशिष्ट-I में किया गया है। विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार उक्त दायित्वों में संशोधन किया जा सकेगा।

7. उल्लेखित पदों पर कार्यरत पदाधिकारियों के मासिक मानदेय का भुगतान निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग द्वारा मांग संख्या -12- वित्त विभाग, मुख्य शीर्ष -2052- सचिवालय सामान्य सेवाएँ, लघु शीर्ष-090-सचिवालय उपशीर्ष-08-वित्त विभाग, विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते, प्राथमिक इकाई-08-संविदा भत्ता विपत्र कोड 12S2050009008000108 से किया जायेगा।

8. उक्त के फलस्वरूप सरकार पर प्रति वर्ष लगभग 69,00,000.00 (उनहत्तर लाख) रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।

9. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 1897/वि० दिनांक 07.08.2024 के क्रम में दिनांक 29.08.2024 की बैठक के मद संख्या- 03 में दी गयी है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रशांत कुमार,
सचिव

Job Description

PROGRAM DIRECTOR

Job Summary

The ideal candidate is someone who has deep knowledge of Government Policies, Procedures, Processes, Standards and Guidelines. One who understands Technology, Quality Standards, Information Systems' internal controls framework, Software Engineering and business processes. Experience in Finance Management and Financial Service Delivery Domain in the Government would be an added advantage. Should have ability to analyze, derive feasibility and ability to foresee requirements as per Government needs. Proficiency in developing mechanism for implementation of IT, Project Management, works monitoring, deep knowledge of SDLC, software development environment, IT Infrastructure, Server Management and Change Management. Should be able to formulate Policies, Procedures, Processes, Guidelines, Standards and Standard Operating Procedures. Should have good knowledge of English. Good leadership quality, ability to take initiative and should have good communication, presentation and other soft skills.

Distinguishing Characteristics

Preparation of future plan, enhancement in existing system and the preparation of detailed scopes and objectives for which computer programs will be written to use data processing for administration, management, control and other operations. Preparation of RFP and finalization of RFP, vendor management and other project lifecycle works. Should be able to manage the budget and finances pertaining to Project(s) and Project Management Unit. Implementation of Plans, its monitoring, review, follow-ups, support, among others.

1. Duties and Responsibilities

- i. Carrying out feasibility studies of proposals and making recommendations for formulation of Policy, Procedures, Processes, Guidelines and Standards and to get approval from the competent level.
- ii. Ensuring timely and within budget planning and development under the Agile methodology, Configuration Management of IT systems, Change Management and Quality Assurance.
- iii. Interaction with the Development Team to understand software limitations, resolving their problems, ensure testing for quality of software and deployment of the completed software.
- iv. To ensure quality and timeliness of the project and to ensure post implementation support.
- v. Shall be accountable for efficient and effective functioning and operation of Project Management Unit.
- vi. Shall ensure Confidentiality, Integrity and Availability of the Information System.
- vii. Coordination within various wings of the department/government, understanding their needs & suggest actions thereon.
- viii. Monitoring the server management and to ensure robust internal control framework and IT Security.
- ix. To monitor and ensure implementation of the project and to report it to the next level.
- x. To ensure helpdesk and support systems are working efficiently and effectively.
- xi. To make presentations before different stakeholders and to conduct training programs.
- xii. To ensure statutory compliance and compliance of IT Audit/ other global standards.
- xiii. Works assigned by the Department from time to time.

ADDITIONAL PROGRAM DIRECTOR**Job Summary**

The ideal candidate is someone who has deep knowledge of Government Policies, Procedures, Processes, Standards and Guidelines. One who understands Technology, Quality Standards, Information Systems' internal controls framework, Software Engineering and business processes. Experience in Finance Management and Financial Service Delivery Domain in the Government would be an added advantage. Should have ability to analyze, derive feasibility and ability to foresee requirements as per Government needs. Proficiency in developing mechanism for implementation of IT, Project Management, works monitoring, deep knowledge of SDLC, software development environment, IT Infrastructure, Server Management and Change Management. Should be able to formulate Policies, Procedures, Processes, Guidelines, Standards and Standard Operating Procedures. Should have good knowledge of English. Good leadership quality, ability to take initiative and should have good communication, presentation and other soft skills.

Distinguishing Characteristics

Preparation of future plan, enhancement in existing system and the preparation of detailed scopes and objectives for which computer programs will be written to use data processing for administration, management, control and other operations. Preparation of RFP and finalization of RFP, vendor management and other project lifecycle works. Should be able to manage the budget and finances pertaining to Project(s) and Project Management Unit. Implementation of Plans, its monitoring, review, follow-ups, support, among others.

1. Duties and Responsibilities

To assist the Program Director and/or the Department in the following works-

- i. Carrying out feasibility studies of proposals and making recommendations for formulation of Policy, Procedures, Processes, Guidelines and Standards and to get approval from the competent level.
- ii. Ensuring timely and within budget planning and development under the Agile methodology, Configuration Management of IT systems, Change Management and Quality Assurance.
- iii. Interaction with the Development Team to understand software limitations, resolving their problems, ensure testing for quality of software and deployment of the completed software.
- iv. To ensure quality and timeliness of the project and to ensure post implementation support.
- v. Shall be accountable for efficient and effective functioning and operation of Project Management Unit.
- vi. Shall ensure Confidentiality, Integrity and Availability of the Information System.
- vii. Coordination within various wings of the department/government, understanding their needs & suggest actions thereon.
- viii. Monitoring the server management and to ensure robust internal control framework and IT Security.
- ix. To monitor and ensure implementation of the project and to report it to the next level.
- x. To ensure helpdesk and support systems are working efficiently and effectively.
- xi. To make presentations before different stakeholders and to conduct training programs.
- xii. To ensure statutory compliance and compliance of IT Audit/ other global standards.
- xiii. Works assigned by the Department from time to time.

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ।-----
अधिसूचना

20 सितम्बर, 2024

संख्या-09/आरोप-राँची-09/2022-3060 (09)/रा.--श्री सुजीत कुमार, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, ग्रामीण क्षेत्र, हिन्नु सम्प्रति निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक, कोल्हान प्रमण्डल, जमशेदपुर के विरुद्ध छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46 (1)(b) का उल्लंघन करने के आरोप में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी कार्यालय, राँची का पत्रांक-62(ii)/स्था०, दिनांक-18.01.2022 द्वारा आरोप पत्र विभाग को प्राप्त हुआ है ।

2. आरोप पत्र में गठित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक-258/रा०, दिनांक-02.02.2022 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गई। उक्त के आलोक में श्री कुमार द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है ।

3. श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-1439/रा०, दिनांक-04.05.2022 के माध्यम से उपायुक्त, राँची से मंतव्य की माँग की गई है। उक्त के क्रम में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी कार्यालय, राँची का पत्रांक-04(i)/स्था०, दिनांक-02.01.2024 द्वारा विभाग को मंतव्य उपलब्ध कराया गया है ।

4. श्री कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र में गठित आरोप, श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं समर्पित स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, राँची से प्राप्त मंतव्य एवं उपलब्ध अभिलेखों के सम्यक समीक्षोपरांत श्री कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है ।

5. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री कमल जॉन लकड़ा, (सेवानिवृत्त भा०प्र०से०) विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नामित किया जाता है ।

6. अपर समाहर्ता, राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रामवृक्ष महतो,
सरकार के उप सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ।

अधिसूचना

20 सितम्बर, 2024

विषय:-Tata Steel Limited] जमशेदपुर के I-Blast Furnace के नजदीक कुल रकबा-1.275 एकड़ में अवस्थित कुल 4 (चार) Sub-lessees यथा (1) Jamshedpur Notified Area Committee (2) Trustees of Indian Medical Association, Jamshedpur Branch (3) The Trustees of Sthanakvasi Jain Sangh एवं (4) Mrs. Sukpali Shukla and others को पूर्व के समान नियमों एवं शर्तों पर पुनर्स्थापित(Relocation) किये जाने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

संख्या-4/स० भू० पूर्वी सिंह-71/15-3062/रा०--बिहार भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1972 की धारा-5 के द्वारा बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 में धारा 7D एवं धारा 7E insert की गई। दिनांक-04.08.1984 को बिहार सरकार तथा Tata Iron & Steel Company Limited के बीच Agreement of Lease निष्पादित किया गया। दिनांक-01.08.1985 को बिहार सरकार तथा Tata Iron & Steel Company Limited के बीच 01.01.1956 से 31.12.1995 की अवधि के लिए Indenture of Lease निष्पादित किया गया। दिनांक-20.08.2005 को झारखण्ड सरकार एवं Tata Steel Limited के बीच दिनांक-01.01.1996 से 31.12.2025 की अवधि के लिए Indenture of Lease निष्पादित किया गया। उक्त परिप्रेक्ष्य में :-

- 1- Tata Steel Limited के अनुरोध एवं Sub-lessee Jamshedpur Notified Area Committee की सहमति के आलोक में Tata Steel Limited द्वारा Jamshedpur Notified Area Committee को खाता संख्या-245, प्लॉट संख्या-2052, कुल रकबा-0.585 एकड़ भूमि से खाता संख्या-245, प्लॉट संख्या-1297 (P), 1298(P), 1301(P) एवं 1302(P) कुल रकबा-0.585 एकड़ पर वार्षिक Lease Rent पूर्ववत् 8.16/-रूपये रखते हुए पूर्व के समान नियम एवं शर्तों पर पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- 2- Tata Steel Limited के अनुरोध एवं Sub-lessee Trustees of the Indian Medical Association, Jamshedpur Branch की सहमति के आलोक में Tata Steel Limited द्वारा Trustees of the Indian Medical Association, Jamshedpur Branch को खाता संख्या-245, प्लॉट संख्या-2101, कुल रकबा-0.294 एकड़ भूमि से खाता संख्या-245, प्लॉट संख्या-1336 (P), 1337(P) एवं 1338(P) पर कुल रकबा-0.294 एकड़ भूमि पर वार्षिक Lease Rent पूर्ववत् 44.16/-रूपये रखते हुए पूर्व के समान नियम एवं शर्तों पर पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

- 3- Tata Steel Limited के अनुरोध एवं Sub-lessee The Trustees of Sthanakvasi Jain Sangh की सहमति के आलोक में Tata Steel Limited द्वारा The Trustees of Sthanakvasi Jain Sangh को खाता संख्या-245, प्लॉट संख्या-2089, कुल रकबा-0.313 एकड़ भूमि से खाता संख्या-245, प्लॉट संख्या-1301 (P), 1312(P), 1313(P) एवं 1314 (P) कुल रकबा-0.313 एकड़ भूमि पर वार्षिक Lease Rent पूर्ववत् 8.04/- रुपये रखते हुए पूर्व के समान नियम एवं शर्तों पर पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- 4- Tata Steel Limited के अनुरोध एवं Sub-lessee Mrs. Sukpali Shukla and others की सहमति के आलोक में Tata Steel Limited द्वारा Mrs. Sukpali Shukla and Others को खाता संख्या-245, प्लॉट संख्या-2097, कुल रकबा- 0.083 एकड़ भूमि से खाता संख्या-245, प्लॉट संख्या-1298 (P), 1301(P) एवं 1302(P) कुल रकबा-0.083 एकड़ भूमि पर वार्षिक Lease Rent पूर्ववत् 216/- रुपये रखते हुए पूर्व के समान नियम एवं शर्तों पर पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-06.09.2024 के मद संख्या-57 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शंभु कुमार सिंह
सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

28 अगस्त, 2024

सं०सं०-4/नि०सं०-12-04/2019 का० 5520--श्री वैभव कुमार सिंह झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-73/20), जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, चतरा का दिनांक 27.08.2023 से दिनांक 12.09.2023 तक (कुल 17 दिन) उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230, एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,
सरकार के अवर सचिव ।
